



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092021-230021  
CG-DL-E-28092021-230021

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3680]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2021/ आश्विन 6, 1943

No. 3680]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ASVINA 6, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2021

सं. 33 2015 2020

का.आ. 4014(अ).—यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1-02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

1. पैरा 1-01 में, '30 सितम्बर, 2021 तक लागू रहेगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो' वाक्यांश को '31-03-2022 तक लागू रहेगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो' वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. पैरा 4-14 में, अंतिम पंक्ति में यथा उल्लिखित तारीख '30-09-2021' को '31-03-2022' से प्रतिस्थापित किया जाता है।
3. पैरा 5-01(क) में, दूसरे वाक्य में यथा उल्लिखित तारीख '30-09-2021' को '31-03-2022' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. पैरा 6-01 (घ) (ii) में, अंतिम पंक्ति में यथा उल्लिखित तारीख '30-09-2021' को '31-03-2022' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: मौजूदा विदेश व्यापार नीति, 2015-2020, जो 30 सितम्बर, 2021 तक वैध है, को 31-03-2022 तक बढ़ाया जाता है।

[फा. सं. 01/75/171/00002/एम-२२/एफटीपी]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव,

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2021

**No. 33/2015-2020**

**S.O. 4014(E).**—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, as amended, the Central Government hereby makes, with immediate effect, the following amendments in the FTP 2015-2020:

1. In para 1.01, the phrase 'shall remain in force upto 30<sup>th</sup> September, 2021 unless otherwise specified' is substituted by the phrase 'shall remain in force upto 31.03.2022 unless otherwise specified.'
2. In para 4.14, the date '30.09.2021' as appearing in the last line is substituted by '31.03.2022'.
3. In para 5.01(a), the date '30.09.2021' as appearing in the second sentence is substituted by '31.03.2022'.
4. In para 6.01(d) (ii), the date '30.09.2021' as appearing in the last line is substituted by '31.03.2022'.

**Effect of this Notification:** The existing Foreign Trade Policy 2015-2020 which is valid upto 30th September, 2021 is extended upto 31<sup>st</sup> March, 2022.

[F. No. 01/75/171/00002/AM22/FTP]

Amit Yadav, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.